अति—आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग—8)

क्रमांकः— प.5(16)ग्रावि. / अनु.8 / सी.ई.ओ.मीटींग / 2018 जयपुर,दिनांक 26 NOV 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,
समस्त।

विषय :— योजनाओं की प्रभावी कियान्विति बाबत् निर्देश।
सन्दर्भ :— बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 27.09.2018

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं:—

1 गत वित्तीय वर्ष की अवशेष राशि एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने के संबंध में उपलब्ध राशि के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कराने की कार्यवाही की जावे।

2 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की राज्य प्रवर्तित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में जिला परिषदों के पी0डी0 खातों में जो राशि विगत वित्तीय वर्षो के स्वीकृत खातों के बकाया वित्तीय वर्ष के अवशेष है, उस समस्त राशि के चालू वित्तीय वर्ष के आवंटन के अनुसार आवंटन का 125 तक प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति जारी करें तथा पी0डी0 खाते के अवशेष को शून्य किया जावे।

3 पंचायतीराज की समस्त योजनाओं के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पूर्व की भाति उत्तरदायी बनाया जाये।

4 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित IWMS सॉफ्टवेयर से पंचायतीराज की समस्त योजनाओं की स्वीकृति एवं मोनिटरिंग की कार्यवाही अमल में लायी जाये।

5 IWMS सॉफ्टवेयर में पंचायतीराज की योजनाओं में जिला स्तर पर, पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर तक स्वीकृति, समायोजन, प्रगति समीक्षा आदि समस्त का शीघ्र प्रावधान किया जावे एवं दिशा निर्देश जारी किया जाये।

6 स्वच्छ भारत मिशन के बकाया भुगतान मिशन मोड पर कराया जावे।

7 महात्मा गांधी नरेगा में वर्ष 2016—17 व वर्ष 2017—18 का किसी भी मस्टररोल भुगतान के संबंध में पंचायतवार भुगतान की कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समीक्षा की जावे।

8 नवीन ग्राम पंचायत भवनों के लिए जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव जिलों द्वारा शीघ्र भिजवाये जायें।

विधानसभा चुनाव—2018
मतदान अवश्य करे
मतदान दिवस—7 दिसम्बर, 2018

9 आंगन बाड़ी भवनों में एवं किसान सेवा केन्द्रों में विवाद की स्थिति है, तो उसका निरस्तारण करते हुए अन्य जगह ग्राम पंचायत/पंचायत समिति में स्वीकृति जारी की जावें।

10 मृत राज कर्मचारी को पदस्थापन देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

11 शिक्षक भर्ती 2013 के जो प्रकरण लम्बित है, उनको गंभीरता से लिया जावे, जिससे न्यायालय अवमानना की स्थितियां उत्पन्न नहीं हों।

12 राज्य स्तर से भिजवाये गये महात्मा गांधी नरेगा में समीक्षा हेतु समीक्षा फॉर्मेट के अनुरूप मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पंचायत समितिवार समीक्षा की जावे।

13 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाट बाजार विकसित करने संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी इस हेतु जिलों में भ्रमण करेंगें, इन्हें पूर्ण सहयोग किया जाये एवं अपने जिले में ग्रामीण हाट बाजार चिन्हीकरण की कार्यवाही की जाये।

14 एमएलए लैड योजना में जिले में उपलब्ध बचत राशि की सूचना शीघ्र भिजवायी जाये ताकि इस राशि का IWMS के अन्य प्राप्तियों के कॉलम में इन्द्राज किया जाये और इस राशि की स्वीकृति शीघ्र जारी करायी जा सके।

15 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं का समस्त कार्य अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) को हस्तान्तरित किया जाये।

16 कार्यो की स्वीकृति के समय तकनीकी परीक्षण की दृष्टि से पत्रावली अभियन्ताओं के माध्यम से तथा कार्यो की यू0सी0 प्राप्त होने के पश्चात समायोजन एवं किश्त हस्तान्तरण हेतु पत्रावली संबंधित लिपिक के द्वारा लेखा शाखा के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जाये।

17 सार्वजनिक स्थानों एवं कन्या शिक्षण संस्थाओं के आस–पास सामुदायिक शौचालय स्वीकृत किये जावें, जिनमें पानी एवं साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था हो।

18 महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों के सुनिश्चित नियोजन हेतु प्रपत्र–6 के वितरण के संबंध में विशेष प्रयास किये जाये। प्रचार–प्रसार के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी, वार्ड पंच के माध्यम से प्रपत्र–6 वितरित करवाये जावें।

19 महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत चारदीवारी वाले स्कूलों में वृक्षारोपण के तहत पंचफल (आम, शहतूत, जामुन आदि) लगाने का कार्य लिया जावें।

20 प्रति सप्ताह एक से दो पंचायत समितियों का उनके द्वारा एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा नियमित रूप से भ्रमण कर कार्यों एवं बकाया उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों की स्थिति की समीक्षा की जावे।

21 जिओ मनरेगा योजनान्तर्गत फेस–1 एवं फेस–2 अन्तर्गत समस्त पूर्ण कार्यो की जिओ टैगिंग की जावे।

"वोट डालबा चालो जयपुर"

LET'S VOTE JAIPUR

22 जिला एवं पंचायत समिति अधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार निरीक्षण कर योजना की समीक्षा की जावे।

23 एबीपीएस (ABPS) हेतु जिला स्तर पर डीएलबीसी की बैठक कर कन्वर्जन की कार्यवाही पूर्ण की जावें।

24 मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पंचायत समितियों में नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर समस्त कार्यों की कार्यवार प्रगति की समीक्षा की जावे।

25 कोर्ट केसेज की समीक्षा कर समय पर पालना सुनिश्चित की जावे।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव,
ग्रावि एवं पंरावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
3 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
4 निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, राजीविका।
5 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त , पंचायती राज विभाग।
6 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7 आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
8 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
9 जिला कलेक्टर समस्त।
10 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
11 परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, (एसएपी–I / II / मो. एवं मू. / एमई)।
12 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग।
13 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग / पंचायती राज / महात्मा गांधी नरेगा।
14 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

26/11/18
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

विधानसभा चुनाव–2018
मतदान अवश्य करे
मतदान दिवस–7 दिसम्बर, 2018